कार्यालय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर महानगर

(वैकल्पिक विवाद निस्तारण केन्द्र, जिला एवं सेशन न्यायालय), जोधपुर महानगर
फोन नं. 0291–2943480, ईमेल : dlsa23jodhpurmetro@gmail.com

विज्ञप्ति सूचना

क्रमांक : २४५५ दिनांक : २२/८/२५

माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर की विज्ञप्ति क्रमांक एफ–7(29)रालसा / संस्था / पी.एल.ए. / अध्यक्ष नियुक्ति / 2025 / 8406 दिनांक 20–08–2025 के द्वारा स्थाई लोक अदालत में पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति हेतु विस्तृत विज्ञप्ति जारी कर दिनांक 10–09–2025 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहे है। अतः विज्ञप्ति एवं आवेदन पत्र का प्रारूप सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है :–

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जोधपुर महानगर को प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त विज्ञप्ति एवं आवेदन पत्र का प्रारूप सूचना पट्ट पर चस्पा करवाने की कृपा करावे।
2. श्रीमान् जिला कलेक्टर, जोधपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त विज्ञप्ति एवं आवेदन पत्र का प्रारूप जिला कलेक्ट्रेट एवं समस्त उपखण्ड कार्यालयों के सूचना पट्ट पर चस्पा करावे।
3. सिस्टम अधिकारी, जिला न्यायालय, जोधपुर महानगर को पालनार्थ एवं विज्ञप्ति व आवेदन पत्र को जोधपुर महानगर जिला न्यायालय की वेबसाईट पर प्रेषित करने हेतु।
4. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

संलग्न :– उपर्युक्तानुसार।

सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
जोधपुर महानगर, जोधपुर

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ
विधिक सेवा सदन, विधिक सेवा मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर
(Phone: 0141-2227481, FAX:2227602, Toll Free Help Line 9928900900)
Email: rj-slsa@nic.in, Website: https://rajasthan.nalsa.gov.in

क्रमांकः–एफ–7(29) / रालसा / संस्था–पी.एल.ए. अध्यक्ष नियुक्ति / 2025 / 8406 दिनांकः20.08.2025

स्थायी लोक अदालत में पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति हेतु विस्तृत विज्ञप्ति

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (यथा संसोधित) की धारा 22बी के अंतर्गत स्थापित पूर्णकालिक स्थाई लोक अदालत मुख्यालय हनुमानगढ, कोटा, मेडता सिटी, श्री गंगानगर, सिरोही एवं उदयपुर में पूर्णकालिक अध्यक्ष के रिक्त 06 पद एवं वर्ष 2025 (माह नवम्बर) में स्थाई लोक अदालत बीकानेर के रिक्त होने वाले 01 पद अर्थात कुल **07 पदों** पर नियुक्ति हेतु पात्र जिला न्यायाधीश संवर्ग के सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारियों से ऑफलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है।

1. **पूर्णकालिक अध्यक्ष पद हेतु आवेदन करने की पात्रता व योग्यता–**

(क) जिला न्यायाधीश संवर्ग के ऐसे अधिकारी, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

अथवा

(ख) जिला न्यायाधीश संवर्ग के सेवारत अधिकारी, जो **दिनांक 31.12.2023** के पश्चात् सेवानिवृत्त हुये है एवं दिनांक 31.01.2026 तक सेवानिवृत होने वाले हैं।

2. **सेवा के निबंधन एवं शर्तें–**

(क) स्थाई लोक अदालत के पूर्णकालिक अध्यक्ष पद पर नियुक्ति प्रावधानो के अनुसार 05 वर्ष तक की अवधि या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, जो भी पूर्व हो, तक की जायेगी। **नियुक्ति प्रारम्भ में केवल 01 वर्ष के लिए की जा सकती है। कार्यनिष्पादन की समीक्षा के बाद अधिकतम 05 वर्षों तक (प्रारम्भिक कार्यकाल सहित) बढाया जा सकता है।**

1. **अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किये गये न्यायिक अधिकारी को उनकी अंतिम आहरित वेतन माईनस पेशन के अनुरूप फीस प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।**
2. **अध्यक्ष के रूप में नियुक्त सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी को सभी सुविधाएं व भत्ते जो समय–समय पर प्रचलित सरकारी नियमों, परिपत्रों, आदेशों तथा अधिसूचनाओं में निर्धारित किये जाएंगे।**

(ख) स्थाई लोक अदालत के पूर्णकालिक अध्यक्ष को मानदेय व अन्य सुविधाएं स्थायी लोक अदालत (अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2003, स्थायी लोक अदालत (अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2016, स्थायी लोक अदालत (अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2020, स्थायी लोक अदालत (अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2025 (यथा संशोधित) के अनुरुप देय होंगी।

Rajim Attri

(ग) नियुक्ति से पूर्व अभ्यर्थी को एक वचन–बंध (Undertaking) देना होगा कि उसका कोई ऐसा वित्तीय या अन्य हित नहीं है और न ही होगा, जिससे उसके अध्यक्ष के रूप में कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

(घ) अध्यक्ष अपने पद पर न रहने पर, उस तारीख से जिससे वह ऐसे पद पर नहीं रहता है, ऐसे किसी संगठन में या उसके प्रबंधन या प्रशासन में जो उसकी पदावधि के दौरान अधिनियम के अधीन कार्यवाही का विषय रहा है, कोई नियुक्ति धारण नहीं करेगा या उससे सम्बद्ध नहीं रहेगा।

(ड.) अभ्यर्थी की आयु नियुक्ति के समय 63 वर्ष से अधिक नहीं हो।

(च) **स्थायी लोक अदालत के पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में किसी भी न्यायिक अधिकारी को उनके गृह जिले में पदस्थापित नहीं किया जाएगा तथा पदस्थापन स्थल/मुख्यालय के लिए 03 विकल्प दिये जा सकते हैं।**

3. **चयन की रीति/प्रक्रिया–**

(क) स्थायी लोक अदालत के उक्त पूर्णकालिक अध्यक्ष के पद पर चयन योग्य अभ्यर्थियों के साक्षात्कार द्वारा किया जाएगा।

नोट– आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होने पर पात्र अभ्यर्थियों में से छंटनी (Short Listing) की जा सकेगी व तद्नुसार शेष पात्र अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा।

(ख) चयन एवं चयन की रीति, प्रक्रिया व मापदंड निर्धारित करने का अंतिम निर्णय माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के विवेकाधीन होगा।

(ग) साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का टी.ए./डी.ए. देय नहीं होगा।

4. **आवेदन करने की प्रक्रिया व समय सीमा–**

(क) **पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति आवेदन पत्र हेतु सूचना प्राधिकरण के नोटिस बोर्ड, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर पीठ, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित की जाएगी। संपूर्ण राजस्थान के जिलाधीश कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित की जाएगी। इसके अतिरिक्त** आवेदन पत्र का प्रारूप राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर की वेबसाईट https://rajasthan.nalsa.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

(ख) पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी को अपना आवेदन पत्र, विज्ञप्ति के संलग्न निर्धारित प्रारूप में भरकर, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के कार्यालय में व्यक्तिशः या डाक द्वारा प्रेषित/प्रस्तुत करना होगा।

(ग) सेवारत न्यायिक अधिकारी को अपना आवेदन पत्र माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से प्रेषित करना होगा। सीधे इस कार्यालय को प्रेषित आवेदन पत्र को विचार में नहीं लिया जाएगा। अतः इच्छुक न्यायिक अधिकारी अपना आवेदन पत्र, अंतिम तिथि को ध्यान में रखते हुए यथोचित समय पर माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(घ) आवेदन पत्र के साथ वांछित समस्त दस्तावेजात की स्वःप्रमाणित प्रतिलिपि सम्मिलित करनी होगी।

Diam Attn'

(ङ) आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की **अंतिम दिनांक 10.09.2025** समय सांय 5 बजे तक है। अंतिम तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों अथवा अपूर्ण आवेदन पत्रों को विचार में नहीं लिया जाएगा।

(च) E-mail अथवा फैक्स आदि से प्रेषित किसी भी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. नियुक्ति से संबंधित शर्तें व नियम राज्य प्राधिकरण के निर्णयाधीन रहेंगी।
6. आवेदको को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पूर्व विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 व स्थायी लोक अदालत (अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2003, स्थायी लोक अदालत (अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2016, स्थायी लोक अदालत (अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2020, स्थायी लोक अदालत (अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2025 (यथा संशोधित) का अध्ययन कर लें।
7. उपरोक्त रिक्त पदों की संख्या में किसी भी समय नियमानुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है, जिसके लिए पुनः विज्ञप्ति/शुद्धि पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

आज्ञा से,

Diom Attri

सदस्य सचिव

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,

जयपुर।

क्रमांक:–एफ–7(29)/रालसा/संस्था–पी.एल.ए. अध्यक्ष नियुक्ति/2025/8407–22 दिनांक20.08.2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, रालसा, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर/जोधपुर।
3. निजी सचिव, माननीय जज इंचार्ज महोदय, मीडिएशन, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर।
4. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि विज्ञप्ति को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं समस्त तालुका विधिक सेवा समितियों के सूचना पट्ट पर चस्पा करावें।
8. जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि विज्ञप्ति को जिला कलेक्ट्रेट एवं समस्त उपखण्ड कार्यालयों के सूचना पट्ट पर चस्पा करावें।
9. निदेशक/विशेष सचिव/उप सचिव–प्रथम/उप सचिव–द्वितीय, रालसा, जयपुर।
10. संयुक्त सचिव, रालसा, जयपुर/जोधपुर।
11. सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर/जोधपुर।
12. वरिष्ठ उप सचिव/ उप सचिव, रालसा, जयपुर।
13. लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी–प्रथम/द्वितीय, रालसा, जयपुर।
14. नोडल अधिकारी, विभागीय वेबसाइट को निर्देशित किया जाता है कि विज्ञप्ति का विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
15. संबंधित पत्रावली।
16. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ
विधिक सेवा सदन, विधिक सेवा मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर
(Phone: 0141-2227481, FAX:2227602, Toll Free Help Line 9928900900)
Email: rj-slsa@nic.in, Website: https://rajasthan.nalsa.gov.in

:: आवेदन पत्र ::

(राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा जारी विस्तृत विज्ञप्ति क्रमांक एफ–7(29)/रालसा/संस्था/पीएलए अध्यक्ष नियुक्ति/2025/8405 दिनांक 20.08.2025 के क्रम में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22–बी के अंतर्गत स्थापित पूर्णकालिक स्थायी लोक अदालत में पूर्णकालिक अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन)

पासपोर्ट साइज का नवीनतम स्व–हस्ताक्षरित फोटो चिपकाये

1. आवेदक का नाम
 हिन्दी में
 अंग्रेजी में
2. आवेदक के पिता/पति का नाम
3. जन्म तिथि (शब्दो व अंकों में)

4. गृह जिला (सेवा अभिलेखानुसार).....
5. स्थायी निवास का पता

6. वर्तमान पत्राचार का पता

7. मोबाईल नम्बर
8. ई–मेल
9. शैक्षणिक योग्यता (सैकण्डरी, एल.एल.बी एवं तत्पश्चात् अर्जित) :–

क्र.सं.	परीक्षा	बोर्ड/विश्वविद्यालय	उत्तीर्ण करने का वर्ष	श्रेणी	प्राप्तांकों का प्रतिशत
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

10. न्यायिक सेवा में प्रवेश की दिनांक व पदनाम
11. वर्तमान पदनाम (सेवारत आवेदक के लिए)
12. अंतिम धारित पद (सेवानिवृत्ति आवेदक के लिए)
13. सेवानिवृति की दिनांक
 (सेवानिवृत्त आवेदक वास्तविक एवं सेवारत आवेदक भावी तिथि अंकित करें)
14. वेतन श्रृंखला एवं मूल वेतन (वर्तमान या अंतिम आहरित)

15. विगत 07 वर्षों का/सेवानिवृत्ति से अंतिम 07 वर्ष का न्यायिक सेवा का कार्य अनुभव विवरण :–

क्र.सं.	न्यायालय व धारित पद का नाम	अवधि (कब से कब तक)	सम्पादित कार्य की प्रकृति
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

16. विधिक सेवाओं के क्षेत्र में, विशेष रूप से स्थाई लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा) से संबंधित अनुभव एवं उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण –

.....

.....

17. वकालत का अनुभव –

न्यायिक सेवा में प्रवेश से पूर्व वर्ष

सेवानिवृत्ति के पश्चात् वर्ष

18. वर्तमान कार्य/व्यवसाय (Occupation) का विवरण

(सेवानिवृत्त आवेदक के लिए)

19. क्या आवेदक के एक से अधिक जीवित पति/पत्नी हैं ? हाँ/नही

20. क्या आवेक के दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान उत्पन्न हुई है? हाँ/नही

21. क्या आवेदक (सेवारत/सेवानिवृत्त) के विरूद्ध वर्तमान में कोई प्रारंभिक या विभागीय जांच लम्बित है अथवा क्या पूर्व में विभागीय जांच में दोषी पाया गया है? यदि हां, तो उसका विवरण।

22. यदि आवेदक के विरूद्ध कोई आपराधिक अभियोजन लंबित है ? यदि हां तो उसका विवरण।

आवेदक के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं पुत्र/पत्नी घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में अंकित सभी तथ्य एंव विवरण मेरे निजी ज्ञान व विश्वास में सही व सत्य है तथा कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है।

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक

स्थान

नोट : आवेदन पत्र के साथ जन्मतिथि प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक प्रमाण–पत्र, सेवानिवृत्ति आदेश व अन्य वांछित दस्तावेज की स्वः सत्यापित प्रतियां संलग्न करें।